राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–577/2017/जयपुर
अपील संख्या–578/2017/जयपुर
अपील संख्या–579/2017/जयपुर
अपील संख्या–580/2017/जयपुर
अपील संख्या–581/2017/जयपुर
अपील संख्या–582/2017/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दी कलकत्ता रिसर्च इंस्टीट्यूट मार्फत रूकमणि बिरला हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर. सी. शाह
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा उपरोक्त छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के संयुक्त आदेश दिनांक 16.01.2017 के विरूद्ध The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999. (जिसे आगे **"अधिनियम 1999"** कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम 1999 की धारा 23 के अन्तर्गत आदेश पारित किया है जिसमें उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है।

2. उक्त अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही पक्षकार से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन प्रथम, जयपुर द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 14.07.2015 को किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा पाया गया कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से

लगातार.....2

वाटर कुलर, रेफ्रीजरेटर, कम्प्यूटर, सेनेटरी फिटिंग, मेडीकल उपकरण इत्यादि मंगाये गये। इन पर प्रवेश कर का दायित्व बनता है, लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा उक्त वस्तुओं पर देय कर नहीं चुकाया है और न ही प्रवेश कर के संबंध में विभाग के समक्ष प्रस्तुत विवरण प्रपत्रों में अपने प्रवेश कर के दायित्व को घोषित किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा करापवंचन का प्रकरण स्थापित कर, प्रवेश कर, ब्याज व शास्ति आरोपण की अनुशंषा की गयी तत्पश्चात उक्त प्रकरणों को सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर को स्थानांतरित किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा अभियोजन अधिकारी की अनुशंषानुसार राज्य के बाहर से आयातित उक्त वस्तुओं पर प्रवेश कर का दायित्व मानते हुए, प्रवेश कर, ब्याज व शास्ति आरोपण हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया। बल्कि प्रस्तावित कार्यवाही के संदर्भ में प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की गयी, जिनका निस्तारण सशक्त अधिकारी द्वारा पृथक–पृथक आदेशों द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है:–

अपील सं0	अपीलीय अधिकारी के अपील सं0	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	योग
577/17	490/अपील्स–I/प्रवेश कर	2014–15	4.3.16	17053916	3069705	25580874	45704495
578/17	455/अपील्स–I/प्रवेश कर	2014–15	22.2.16	प्रारम्भिक आपत्ति निरस्ती आदेश			
579/17	98/अपील्स–I/प्रवेश कर	2014–15	5.4.16	संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्ती आदेश			
580/17	99/अपील्स–I/प्रवेश कर	2015–16	5.4.16	संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्ती आदेश			
581/17	456/अपील्स–I/प्रवेश कर	2015–16	22.2.16	प्रारम्भिक आपत्ति निरस्ती आदेश			
582/17	491/अपील्स–I/प्रवेश कर	2015–16	4.3.16	3910288	234617	5865432	10010337

सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने संयुक्त अपीलीाधीन आदेश दिनांक 16.01.2017 द्वारा प्रकरण पुनः निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये है। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा उपरोक्त 6 अपीलें पेश की गई हैं।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशियों को यथावत रखने का निवेदन किया एवं अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अभियोजन अधिकारी द्वारा करापवंचन का प्रकरण स्थापित कर, प्रवेश कर, ब्याज व

लगातार.....3

शास्ति आरोपण की अनुशंषा की गयी। प्रकरण सशक्त अधिकारी को स्थानांतरित किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा अभियोजन अधिकारी की अनुशंषानुसार राज्य के बाहर से आयातित उक्त वस्तुओं पर प्रवेश कर का दायित्व मानते हुए, प्रवेश कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की अनुपालना में प्रस्तावित कार्यवाही के संदर्भ में प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की गयी। सशक्त अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.03.2016 को पारित कर, उक्तानुसार मांग राशि कायम की गयी है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के क्रम में संशोधन प्रार्थना पत्र सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिन्हें सशक्त अधिकारी द्वारा पृथक–पृथक आदेश दिनांक 05.04.2016 को पारित कर, उक्त संशोधन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि आलौच्य अवधियों में प्रत्यर्थी द्वारा वाटर कूलर, रेफ्रीजरेटर, कम्प्यूटर, सेनेटरी फिटिंग, मेडीकल उपकरण इत्यादि देश के बाहर से आयातित किये गये हैं, जिन पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं बनता है। प्रत्यर्थी का प्रवेश कर का दायित्व नहीं होने के कारण, सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित प्रवेश कर एवं उसके क्रम में आरोपित ब्याज एवं शास्ति अपास्त किये जाने योग्य है। अग्रिम कथन किया गया कि प्रत्यर्थी एक अस्पताल संचालक है, उसका व्यवसाय माल का खरीद बिक्री करना नहीं है, उक्त वस्तुएं प्रत्यर्थी द्वारा अस्पताल के लिए देश के बाहर से आयात की गयी है। देश के बाहर से आयातित वस्तुओं पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं है। इस संबंध में उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त (विधि), वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के द्वारा मैसर्स लखपति ट्रेडिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जोधपुर के प्रकरण में राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 36 के तहत दिये गये निर्णय दिनांक 23.11.2015 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया गया कि सशक्त अधिकारी को देश के बाहर से आयातित माल पर प्रवेश कर आरोपित करने की अधिकारिता नहीं है। उन्होंने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। इन्होंने अपने समर्थन में एसटीसी वोल्यूम 197 पेज 196 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम एमबी कॉरपोरेशन, जे वेट रिपोर्टर वोल्यूम 25 पेज 26 लखपत ट्रेडिग एण्ड इण्डस्ट्रीज, (2007) 9 वीएसटी 528 गुवाहाटी प्राइमस इमेजिंग बनाम स्टेट ऑफ आसाम, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा एसटी सेल्स टैक्स रिविजन संख्या 265/2008 एसीटीओ बनाम आयशर

लगातार.....4

लिमिटेड अलवर में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2011 व (2009) वैट एण्ड एसटीसी वोल्यूम 19 पेज 439 शिवा इलैक्ट्रोनिक्स बनाम सीटीटी के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरणों में विभाग द्वारा सर्वेक्षण के समय यह पाया जाने पर कि आलौच्य अवधियों में व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से वाटर कूलर, रेफ्रीजरेटर, कम्प्यूटर, सेनेटरी फिटिंग, मेडीकल उपकरण इत्यादि मंगवाये गये हैं जिन पर प्रवेश कर का दायित्व होने के बावजूद देय कर नहीं चुकाया है व न ही प्रस्तुत विवरण पत्रों में प्रवेश कर के दायित्व को घोषित किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने विधिवत सुनवाई करते हुए अवधि वर्ष 2014–15 एवं 15–16 हेतु अलग–अलग निर्णयों दिनांक 04.03.2016 द्वारा कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों की समग्र जांच के उपरान्त आयातित माल पर प्रवेश कर की कर देयता नहीं मानने व अन्यथा संव्यवहार पर विधिजन्य की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। प्रकरणों में व्यवसायी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा वस्तुओं/उपकरणों का आयात देश के बाहर से किया है जिससे प्रवेश कर का दायित्व नही बनता है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में मंगवाये माल की सूची दी है परन्तु इसके संबंध में व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया है व प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई है तथा अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारित किया है परन्तु अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किये हैं जिससे एक ओर जहां व्यवसायी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर यह अवधारित हो सकेगा कि कौनसा सामान राज्य के बाहर से मंगवाया गया है व कौनसा सामान देश के बाहर से आयातित किया गया है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी के निर्णय से मूल विवाद का निस्तारण तथ्यों एवं विधि के अनुरूप और प्रभावी तरीके से हो सकेगा, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

लगातार.....5

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें निरस्त योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय यथावत रखे जाते हैं। व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.11.2017 को उपस्थित हों।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष